2005:CGHC:1481

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

# उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

## रिट याचिका संख्या 2424 सन 2005

**याचिकाकर्ता :–**

बैलाडिला बेरोजगार संघ

द्वारा :– अध्यक्ष शेख अजीज, पिता एम.डी. गौस पाशा, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी बस स्टैंड के निकट, किरंदोल, जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) (छत्तीसगढ़)

**बनाम**

**उत्तरवादीगण :–**

1. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट निगम लिमिटेड,

   द्वारा : चेयरमैन–कम–मैनेजिंग डायरेक्टर, मसाब टैंक, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

2. महाप्रबंधक,

   बैलाडिला आयरन ओर प्रोजेक्ट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट निगम लिमिटेड, किरंदोल, जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर) (छत्तीसगढ़)

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका**

**1. याचिकाकर्ता का विवरण :–**

जैसा वाद शीर्षक में दर्शाया गया है।

**2. उत्तरदातागण का विवरण :–**

जैसा वाद शीर्षक में दर्शाया गया है।

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

( **युगल पीठ** )

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**कोरम :–** माननीय श्री ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश

और माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

**रिट याचिका संख्या 2424 सन 2005**

**बैलाडिला बेरोजगार संघ**

**बनाम**

**नेशनल मिनरल डेवलपमेंट निगम लिमिटेड**

**उपस्थित:** श्री बी.डी. गुरु, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री पी.एस. कोशी, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

**आदेश**

(11 अगस्त, 2005 को पारित)

न्यायालय का मौखिक आदेश ए.के. पटनायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया :-

याचिकाकर्ता बैलाडिला के बेरोजगार युवाओं का एक संघ है और इसने यह याचिका रिट जनहित याचिका (PIL) के रूप में दायर की है। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट निगम (जिसे "निगम" कहा जाएगा) उत्तरदाता संख्या 1 भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक निगम है और संविधान के अनुच्छेद 12 में "राज्य" की परिभाषा के अंतर्गत आता है। निगम का बैलाडिला में एक आयरन ओर प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए निगम ने रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय को एक मांग पत्र भेजा है और इसके परिणामस्वरूप निदेशालय ने निगम के अंतर्गत रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पदों पर रिक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में, भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष की छूट का प्रावधान है। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि महिला उम्मीदवार इस पद के लिए अयोग्य हैं। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें उक्त अधिसूचना को रद्द करने और निगम को उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35/40 वर्ष निर्धारित करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने और महिला उम्मीदवारों को रिक्तियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

(2) याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री बी.डी. गुरु ने तर्क प्रस्तुत किया कि निगम ने पिछले दस वर्षों से किसी भी कर्मकार की भर्ती नहीं की है और अधिकांश स्थानीय बेरोजगार युवा अधिसूचना में निर्धारित 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से अधिक हो चुके हैं । इस कारण से, अधिसूचना में रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पदों पर भर्ती के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को रद्द किया जाना चाहिए और निगम को उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 35/40 वर्ष तक बढ़ाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए था। अंत में, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिसूचना में जहां तक महिला उम्मीदवारों को रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए आवेदन करने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है, यह भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए तथा निगम को महिला उम्मीदवारों को भी उक्त पद के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

(3) दूसरी ओर, उत्तरदातागण के अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी ने उत्तरदातागण की ओर से दायर प्रत्युत्तर में किए गए दावों का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि निगम में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों पर भर्ती के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा पहले ही 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है और प्रतिवादियों ने सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नीति के तौर पर सामान्य उम्मीदवारों के लिए भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय, छत्तीसगढ़ द्वारा आवश्यकता पत्र के परिणामस्वरूप जारी की गई रिक्तियों की अधिसूचना से ही स्पष्ट है कि रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के 30 रिक्त पदों में से 04 पद अनुसूचित जाति के लिए, 06 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 03 पद अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि शेष 17 पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए हैं। महिला उम्मीदवारों के संबंध में, श्री कोशी ने प्रतिवादियों के प्रत्युत्तर में किए गए दावों का हवाला देते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के तहत महिला श्रमिकों को खान के किसी भी भूमिगत हिस्से में और भूमि के ऊपर के हिस्से में केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही नियोजित करने पर प्रतिबंध है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 में उक्त प्रावधान के मद्देनजर, उत्तरदातागण ने रोजगार कार्यालय को भेजे गए मांग पत्र में यह निर्दिष्ट किया था कि महिला उम्मीदवार रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए अयोग्य हैं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि ऐसा नहीं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

है कि निगम की महिला उम्मीदवारों के प्रति कोई भेदभावपूर्ण नीति है, बल्कि वास्तव में निगम के बैलाडिला परिसर में लगभग 150 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने **पी.यू. जोशी एवं अन्य बनाम अकाउंटेंट जनरल, अहमदाबाद एवं अन्य**, (2003) 2 एससीसी 632 में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि पदों के गठन, पैटर्न, नामकरण, कैडर, श्रेणियों, उनके सृजन और उन्मूलन, योग्यताओं के निर्धारण और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित प्रश्न नीति के क्षेत्र में आते हैं और राज्य के अनन्य विवेकाधिकार और अधिकारिता क्षेत्र में हैं, ऐसे मामलों में न्यायालयों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां सीमित हैं। उन्होंने **धन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**, 1991 (2) एससीसी 190 में प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि केवल विभेदीकरण या असमान संरक्षण स्वयं ही संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निषेधात्मक भेदभाव के अंतर्गत नहीं आता है और इस धारा का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि चयन या विभेदीकरण अनुचित या मनमाना है और यह किसी भी तर्कसंगत आधार पर नहीं टिकता है, जिसे विधायिका ने अपने उद्देश्य के लिए दृष्टिगत रखा है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में महिला उम्मीदवारों को रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति न देने का एक औचित्य था, क्योंकि खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के तहत महिलाओं को खानों में भूमिगत और कुछ निश्चित समय के बाद भूमि के ऊपर भी नियोजित करने पर प्रतिबंध है। श्री कोशी ने **एयर इंडिया बनाम नर्गिस मीरजा एवं अन्य और अन्य संबंधित मामलों, (1981) 4 एससीसी 335 में** प्रकाशित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(2) केवल लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं, न कि लिंग के साथ अन्य विचारों के आधार पर, और एयर इंडिया के अंतर्गत कार्यरत महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों, भत्तों और अन्य प्रकार के पारिश्रमिक में अंतर को बरकरार रखा था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) श्री कोशी का यह तर्क सही है कि किसी भी पद पर भर्ती और भर्ती के लिए पात्रता मानदंड राज्य के क्षेत्र में आते हैं और न्यायालय सामान्यतः न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भर्ती और भर्ती के लिए पात्रता से संबंधित ऐसे मामलों में राज्य के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भर्ती और भर्ती के लिए पात्रता के संबंध में राज्य की शक्ति का प्रयोग भी कानून और संविधान, जिसमें संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, की सीमाओं के अधीन होगा। **पी.यू. जोशी एवं अन्य बनाम अकाउंटेंट जनरल, अहमदाबाद एवं अन्य** (पूर्वोक्त) में, जिस पर श्री कोशी ने भरोसा जताया है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में राज्य का विवेकाधिकार और अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से संविधान में परिकल्पित सीमाओं या प्रतिबंधों के अधीन है। इसलिए, भले ही भर्ती और भर्ती के लिए पात्रता मानदंड राज्य द्वारा निर्धारित करने के लिए नीति के मामले हैं, न्यायालय हमेशा ऐसे नीति के मामलों में राज्य के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, यदि राज्य द्वारा संवैधानिक और वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) निगम के अंतर्गत रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, यह पूरी तरह से निगम द्वारा निर्धारित करने के लिए एक नीति का मामला है। श्री गुरु, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने हमारा ध्यान संविधान के किसी भी प्रावधान या किसी भी कानून के किसी भी प्रावधान की ओर नहीं दिलाया है, जिससे यह दिखाया जा सके कि निगम को रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा 35/40 वर्ष निर्धारित करने के लिए बाध्य किया गया था। याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा इंगित किया गया एकमात्र आधार यह है कि कई वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई है और इस कारण से निगम को रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35/40 वर्ष निर्धारित करनी चाहिए थी। यह निगम के लिए सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह तय करने का विषय था कि रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा क्या होगी, और ऐसा प्रतीत होता है कि निगम ने पहले ही प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर लिया है और ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों सहित रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा को 25 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष

करने का निर्णय ले लिया है। हमें नहीं लगता कि हम न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भर्ती से संबंधित एक शुद्ध नीति के मामले में निगम के इस निर्णय में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

(6) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में, हम निगम के मांग पत्र के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जारी रिक्तियों की अधिसूचना के पठन मात्र से पाते हैं कि रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पदों की 30 रिक्तियों में से 04 पद अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए, 06 पद अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए, 03 पद अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और 17 पद सामान्य उम्मीदवारों के लिए हैं । इसलिए याचिका में यह आधार लिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(7) अब लिंग के आधार पर भेदभाव की चुनौती पर आते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 उपबंधित करता है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। संविधान का अनुच्छेद 16(1) उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी और संविधान का अनुच्छेद 16(2) आगे उपबंधित करता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, अवजनन, जन्म स्थान, निवास स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक को किसी भी नियोजन या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या उसके विरुद्ध भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उक्त प्रावधानों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि नियोजन से संबंधित मामलों में राज्य पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करेगा और केवल लिंग के आधार पर किसी नागरिक को राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह विवादित नहीं है कि निगम राज्य का एक साधन है और संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में समता के प्रावधान निगम के अंतर्गत नियोजन पर

लागू होते हैं। इसलिए, एक महिला नागरिक को केवल लिंग के आधार पर निगम के अंतर्गत किसी भी नियोजन के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा करने के लिए अन्य कोई बाध्यकारी आधार हों, तो उसे निगम के अंतर्गत किसी विशेष नियोजन से बाहर रखा जा सकता है।

(8) हालांकि, छत्तीसगढ़ के नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जारी रिक्तियों की अधिसूचना में कहा गया है कि महिला उम्मीदवार रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए आवेदन करने के लिए अयोग्य हैं। रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद के लिए महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने से बाहर रखने के लिए उत्तरदातागण के प्रत्युत्तर में दिया गया औचित्य यह है कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के तहत खानों में महिलाओं के नियोजन के संबंध में कुछ प्रतिबंध हैं। खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 को निम्नलिखित रूप में उद्धृत किया गया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

**"46. स्त्रियो का नियोजन :–

(1) कोई महिला, किसी अन्य विधि में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, नियोजित नहीं की जाएगी–

(क) खान के किसी भी ऐसे भाग में जो भूमिगत है;

(ख) किसी खान में भूमि के ऊपर, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के अलावा किसी अन्य समय में ।

(2) भूमि के ऊपर खान में नियोजित प्रत्येक महिला को एक दिन के नियोजन की समाप्ति और अगली अवधि के नियोजन के प्रारंभ के बीच कम से कम ग्यारह घंटे का अंतराल दिया जाएगा।

(3) उप–धारा (1) में कुछ भी अंतर्विष्ट होने के बावजूद, केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी खान या खानों के वर्ग या विवरण के संबंध में भूमि के ऊपर महिलाओं के नियोजन के घंटों को परिवर्तित कर सकती है, बशर्ते कि इसके द्वारा किसी महिला को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"**

उपर्युक्त उल्लेखित धारा 46 से यह स्पष्ट होगा कि यह धारा भूमि के ऊपर खानों में महिलाओं के नियोजन को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करती है, हालांकि यह खान के किसी भी भूमिगत हिस्से में महिलाओं के नियोजन को प्रतिबंधित करती है। यह धारा हालांकि भूमि के ऊपर महिलाओं के नियोजन पर यह प्रतिबंध लगाती है कि उन्हें केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही नियोजित किया जा सकता है। उपर्युक्त धारा 46 के उप–धारा (3) में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी खान या खानों के वर्ग या विवरण के संबंध में भूमि के ऊपर महिलाओं के नियोजन के घंटों को परिवर्तित कर सकती है, बशर्ते कि इसके द्वारा किसी महिला को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महिलाओं के लिए भूमि के ऊपर नियोजन पर यह प्रतिबंध लगाने वाला यह प्रावधान महिलाओं के लिए एक विशेष प्रावधान है। हमारी विचारित राय में, ऐसा प्रावधान, जो महिलाओं के लिए भूमि के ऊपर नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, का सहारा निगम द्वारा महिलाओं को रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर भर्ती से पूरी तरह से वंचित करने के लिए नहीं लिया जा सकता है, जो महिलाओं के लिए एक नुकसानदेह स्थिति होगी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) श्री कोशी द्वारा उद्धृत **धन सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य** में, (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि संविधान के अनुच्छेद 14 के आदेश को आकर्षित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि चयन या विभेदीकरण अनुचित या मनमाना है और यह किसी भी तर्कसंगत आधार पर नहीं टिकता है, जिसे विधायिका ने अपने उद्देश्य के लिए दृष्टिगत रखा है। अधिसूचना में या उत्तरदातागण द्वारा दायर प्रत्युत्तर में यह नहीं कहा गया है कि अधिसूचना में जारी किए गए रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के सभी 30 पदों पर विशेष रूप से खानों के भूमिगत हिस्से में ही नियोजित किया जाना है। खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 खानों में भूमि के ऊपर सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच महिलाओं के नियोजन की अनुमति देती है और धारा 46 की उप–धारा (3) आगे उपबंधित करती है कि केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, महिलाओं के ऐसे नियोजन को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच के अलावा भी अनुमति दे सकती है, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नहीं। महिलाओं को रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु) के पद पर निगम के अंतर्गत नियोजन के लिए आवेदन करने और

विचार किए जाने का अवसर देने से इनकार करने का आधार यह बताना कि खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, लिंग के आधार पर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण होगा और संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1) और 16(2) के प्रावधानों खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 खदानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करती है। **"अधिसूचना में महिलाओं को संपूर्ण रूप से 'रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु)" के पद के लिए आवेदन करने से वंचित करने की शर्त अनुचित और मनमानी है, और यह किसी भी तर्कसंगत आधार पर आधारित नहीं है।**

(10) **एयर इंडिया बनाम नरगेश मीरज़ा और अन्य** (पूर्वोक्त) संबंधित मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एयर इंडिया में महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों के लिए भत्तों, सेवा की शर्तों और अन्य पारिश्रमिक मामलों में केवल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मिस सी.बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ (1979) 4 एससी–सी260 में श्री कृष्णा अय्यर, जे. के दृष्टिकोण पर भी ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक लिंग की संवेदनशीलताएँ या सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्टताएँ या किसी भी लिंग का कोई Handicap स्पष्ट रूप से प्रदर्शनित नहीं किया जाता है, तब तक समानता का नियम प्राथमिकता रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**चयनात्मकता और भेदभाव का मामला स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है, तो समानता का नियम लागू होना चाहिए। श्री कृष्णा अय्यर, जे. के शब्दों में :–**

> "हम यह सार्वभौमिक या कट्टरपंथी रूप से नहीं कह रहे हैं कि पुरुष और महिलाएं सभी व्यवसायों और सभी परिस्थितियों में समान हैं और विशेष रोजगार की आवश्यकताओं, लिंग की संवेदनशीलताओं, सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्टताओं या किसी भी लिंग की बाधाओं के कारण चयनात्मकता की आवश्यकता को बाहर नहीं करते। लेकिन जहां भेदभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है, वहां समानता का नियम लागू होना चाहिए।"

वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं ने अपने तर्को में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया है कि लिंग की बाधाओं या अन्य संवेदनशीलताओं या सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्टताओं ने निगम को महिलाओं को पूरी तरह से "रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु)" पद के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन्होंने महिलाओं को निगम में "रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु)" के रूप में रोजगार के लिए आवेदन करने से रोकने का औचित्य केवल 1952 के खान अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के आधार पर दिया है, जिसमें हमने देखा है कि यह महिलाओं को जमीन के ऊपर खदानों में रोजगार से पूरी तरह से बाहर नहीं करता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) उपरोक्त कारणों के लिए, जबकि हम "रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु)" पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा के प्रावधानों में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं, हम अधिसूचना में महिलाओं को पूरी तरह से आवेदन करने से रोकने वाले प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकारतीत घोषित करते हैं और निगम को निर्देश देते हैं कि महिलाओं को भी इन पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाए। अब "रखरखाव सहायक (प्रशिक्षु)" पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा और इच्छुक उम्मीदवारों से नए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यह रिट याचिका उपरोक्त निर्देशों के साथ निराकृत की जाती है, परंतु परिस्थितियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक पक्षकार अपने–अपने वाद –व्यय स्वयं वहन करेंगे।

| | |
|---|---|
| **(हस्ताक्षरित)** | **(हस्ताक्षरित)** |
| मुख्य न्यायाधीश | **सतीश के. अग्निहोत्री** |
| | **न्यायाधीश** |

अस्वीकरण :- हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Hom Prakash Sonkar,

Advocate Durg CG 491001

Mobile number 8109968066